



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 38RAJ09009

संख्या : RAJ/CHT/LST-11

दिनांक : 05.09.2019

प्रेषित : रजेंट, भटकोटडी लाइमस्टोन माइन,  
मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, पो. आ.- आर.के. नगर,  
तहसील-निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तोडगढ़ (राजस्थान)  
ईमेल-plant.nbh@wondercement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Bhatkotri Limestone Mine** (M.L. 22/2007, Lease area 740.93 Hect.) in Chittorgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.08.2019 by the undersigned in presence of Sh. M. K. Bokadia, HOD(Mines).

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Mining Plan (Approved on 28.07.2016) for the year 2018-19: 1. Ore to OB ratio proposal for the the year 2018-19 was 45.33:1 but actual it was 26.45:1; it shows that proportionate mine development has not been carried out. 2. During the year 2018-19 waste dump was proposed between grid 700E to 500E & 880S to 1150S but actual dumping has been carried out between 410E to 640E & 1000S to 1170S.
Rule 45(7)	In annual return 2018-19 following descipencies were observed: 1) Cost of production as reported in Part VII does not tally with expenditure details reported in Annual Return.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय  
05/09/2019  
(डी. आर. गुजर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तोडगढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो